भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3773
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के तहत पहाड़ी राज्यों में लाभार्थी

3773. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री खगेन मुर्मु:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पहाड़ी राज्यों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पहाड़ी राज्यों के सभी पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (घ): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित सहायता प्रदान की जा सके। 07 अगस्त 2025 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.12 करोड़ आवासों का संचयी लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3.85 करोड़ आवासों को मंजूरी दी गई है और 2.82 करोड़ आवासों का निर्माण पूरा हो गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 84.45 लाख आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था, जिसमें से हिमाचल प्रदेश राज्य को 92,364 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। उत्तराखंड राज्य को मंत्रालय द्वारा पहले ही लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है, जिससे वित्त वर्ष 2023-24 तक उसकी मौजूदा एसईसीसी 2011 और आवास+ 2018 दोनों सूचियों की संतृप्त हो गई है।

हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा आवंटित संचयी लक्ष्य, राज्यों द्वारा स्वीकृत आवास तथा निर्मित आवासों का विवरण निम्नानुसार है:-

[इकाई संख्या में]

राज्य	मंत्रालय द्वारा आवंटित लक्ष्य	राज्य द्वारा स्वीकृत आवास	निर्मित आवास
हिमाचल प्रदेश	1,21,502	97,533	37,418
उत्तराखंड	69,194	68,534	68,218

*****